



क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

क्रमांक 107 /क्षे.कार्या /छगपसंमं/भिलाई/2022
प्रति,

दिनांक 20/04/2022

✓ श्री मुकेश कुमार,
रजिस्ट्रार,
सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल (म.प्र.)।

- विषय :- ओ.ए.क्रमांक-04/2022 (सी.जेड) विश्वरंजन विरुद्ध कमिश्नर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड एवं अन्य।
- संदर्भ :- 1. माननीय एनजीटी सेंट्रल बेंच, भोपाल का ओ.ए.क्रमांक-04/2022 (सी.जेड) में पारित आदेश दिनांक 01.02.2022
2. मण्डल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 8025 दिनांक 04.02.2022
3. स्थल निरीक्षण दिनांक 07.04.2022

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के आदेश ओ.ए.क्रमांक-04/2022 (सी.जेड) दिनांक 01.02.2022 के अनुपालन में दिनांक 07.04.2022 को संयुक्त समिति द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत फेक्चुअल एवं एक्शनटेकन रिपोर्ट तथा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Airjaspote
20/04/2022
क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

पृ.क्रमांक /क्षे.कार्या /छगपसंमं/भिलाई/2022 दिनांक
प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर
कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

Factual and Action Taken Report

Subject:- Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 01st February 2022 in the matter of O.A. no.-04/2022(CZ) titled as Biswaranjan Das Vs. Commissioner, Chhattisgarh Housing Board.

Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal vide order dated 01/02/2022 ordered District Magistrate/Collector, Durg, Chhattisgarh and Environment Conservation Board as follows :-


"To visit the place and submit factual and action taken report in the matter within six weeks and corresponding date."

As per the order, the action taken by Sub Divisional Magistrate, Bhilai and Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Durg - Bhilai, are as follows:-

1. The complaint site i.e. Open Area, Near Lili block of Talpuri International Colony, block-'A' , Municipal Corporation Risali, Dist.-Durg (C.G.) was inspected by the officials on 07/04/2022 and found that :-
 - (i) During the inspection, no felling of trees and plants was found at the complaint site.
 - (ii) During the inspection, it was told by the representatives of petitioner that no felling of the trees and plants have been done at the complaint site.
 - (iii) On the spot, the representative of Chhattisgarh Housing Board were told that the process of obtaining No Objection Certificate, before the felling of trees and plant at the complaint site is under process.
 - (iv) A copy of the inspection report prepared is attached.
 - (v) Photographs of the complaint site are attached.
 - (vi) A copy of the approved **site layout** of Talpuri International Colony by Chhattisgarh Housing Board Division, Durg is attached.

No felling of trees and plants was found at the complaint site.

Annexure - As above.



REGIONAL OFFICER,

C.G. Environment Conservation Board,

5/30 Bungalow, Bhilai Dist. Durg (C.G.)



र-धल - पंचनामा
x

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केडू

मोनल बेंच कोपाल का ओ. ए. आर. / 04/2022,
(सी० जेड०) विजयेंजन दाम विरुद्ध कमिश्नर द. न.
राजसिंह बोर्ड एवं अन्य के परित उगदेश दिनांक 01.02.2022
के फाइलाल के आज दिनांक 07-04-2022 दिन बुधवार
के तालपुरी इन्टरनेशनल कालोनी ब्लाक "P" के अन्तर्गत
स्थित शिकायत स्थल का मौका निरीक्षण किया गया।
उक्त शिकायत स्थल नगर निगम रिहाली, लह. दुर्ग,
जिला - दुर्ग के अन्तर्गत स्थित है। निरीक्षण के दौरान
पाई गई स्थिति निम्नांशुमा है :-

① मौके पर तालपुरी इन्टरनेशनल कालोनी ब्लाक "P" के निवासी श्रीमान् ① एम. आर. माड ② सुरेन्द्र ठुनोमे ③ ड. जीवन लाल मिडले ④ रामदास पट्टेल द्वारा जनकारी से गई की शिकायत स्थल पर राजसिंह बोर्ड द्वारा कपेड-फेचे की कवाई नहीं की गई है। उक्त सभी निवासीके का निवास शिकायत स्थल के सामने है।

② मौके पर राजसिंह जमीनी द्वारा बताया गया कि शिकायत स्थल पर वृक्षों की कवाई के लिए अनुमती लिए जाके हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में उक्त स्थल से कोई भी वृक्ष नहीं हारा गया है। ऐसा उपस्थित कालोनी नामियों एवं राजसिंह बोर्ड के कर्मचारियों ने बताया गया।

उपरोक्त पंचनामा के सहित सभी के पाठ कर
हस्ताक्षर किया गया।

आगे पृष्ठ पर

